न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/147/2025	2025/362	06.10.2025	15.12.2025

1. हनीफ पुत्र इस्माईल जाति मेव निवासी ग्राम मानकी तहसील नौगांवा जिला अलवर, राजस्थान

–अपीलाण्ट

बनाम

1. तहसीलदार नौगांवा जिला अलवर।

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध तहसीलदार नौगावां (अलवर) निर्णय दिनांक 23.09.2025 प्रकरण सं० 85/25 वाके ग्राम माणकी, तहसील नौगांवा, जिला अलवर राज0।

उपस्थितः–
01–श्री जनार्दन शर्मा –वकील अपी0
01–श्री दीपक मीना (पैरोकार सरकार) –राजकीय अधिवक्ता

–:निर्णयः–

वकील अपीलाण्ट ने यह अपील तहसीलदार नौगांवा के निर्णय दिनांक 23.09.2025 प्रकरण सं0 85/25 वाके ग्राम माणकी तहसील नौगांवा के विरूद्ध स्वीकार किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभय पक्ष विद्वान वकील की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि पटवारी हल्का चौमा तहसील नौगांवा जिला अलवर ने तहत न्यायालय तहसीलदार नौगावां (अलवर) में, एक रिपोर्ट के अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दिनांक 08.08.2025 को इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई कि ग्राम माणकी तहसील नौगांवा के आराजी खसरा नं० 746 रकबा 0.18 है० किस्म गै०मु० आगर पर गैरसायल हनीफ पुत्र इस्माईल जाति मेव द्वारा अवैध रूप से बाजरा कश्त कर कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया है। जिस पर तहत न्यायालय तहसीलदार नौगांवा (अलवर) में प्रकरण सं० 85/25 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज किया गया, तथा अपीलान्ट को नोटिस धारा 91 (6) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 जारी किया गया। जिस पर मिन अपीलान्ट ने तहत न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश किया गया तथा तहत न्यायालय तहसीलदार नौगावां (अलवर) द्वारा अपीलान्ट के खिलाफ अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23–09–2025 से निस्तारण किया जाकर अपीलाण्ट को अतिक्रमी मानकर बेदखल किए जाने तथा साथ ही धारा पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुये, 3 (तीन) माह का सिविल कारावास एंव पेनल्टी 18/– रूपये से दण्डित कर अहकाम जारी करने के आदेश विधि विरूद्ध व बेजा तरीके से पारित किया गया है। जिस निर्णय के तहत अदालत न्यायालय

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

तहसीलदार नौगावां (अलवर) से असन्तुष्ट होने के कारण यह प्रथम अपील अदालत श्रीमान में पेश की जा रही हैं, जो स्वीकार होने योग्य हैं।

मिन अपीलान्ट ने तहत न्यायालय में जवाब नोटिस पेश कर निवेदन किया गया था, कि मिन अपीलान्ट ने उक्त विवादित आराजी पर फराल बाजरा की बुवाई की गई हैं, फसल कटने के बाद मैं उक्त विवादित आराजी को खाली कर दूँगा। जिस पर भविष्य में किसी प्रकार का कोई भी अतिक्रमण नही करूंगा। मिन अपीलान्ट ने फसल कटने के बाद उक्त आराजी को खाली कर दिया हैं, तथा मिन अपीलान्ट का उक्त विवादित आराजी पर कोई अतिक्रमण नही हैं। लेकिन तहत न्यायालय ने बिना मौका रिर्पोट तलब किये व बिना मौका निरीक्षण किये, अपीलाधीन निर्णय पारित किया हैं। इसलिए अपीलाधीन निर्णय तहत न्यायालय निरस्तनीय हैं। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं। मिन अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी नही हैं, और ना पूर्व मे अतिक्रमण करने व बेदखल करने के बारे में कोई साक्ष्य पत्रावली पर हैं। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नौगांवा ने अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानने में भी गलती की है, क्योंकि पूर्व में अपीलाण्ट को ना तो बेदखल किया गया है, ना ही इस बाबत पत्रावली पर कोई विश्वसनीय साक्ष्य थे। जैसे पूर्व में बेदखल करने की निर्णय की सत्य प्रतिलिपि आदि। लेकिन तहसीलदार साहब ने मात्र भू० अ० निरीक्षक व पटवारी हल्का की रिर्पोट पर बिना निर्णय की प्रतिलिपि पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए, तीन माह के सिविल कारावास व पेनल्टी 18/– रूपये से दण्डित किया है जो निर्णय विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त होने योग्य है। माननीय राजस्व मण्डल की अनेक नजीरे इस बाबत है कि जब तक पत्रावली पर पहले बेदखल करने के आदेश/निर्णय की सत्य प्रतिलिपि ना हो, तब तक उसको पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं माना जा सकता। वर्तमान प्रकरण में भी अपीलाण्ट को पूर्व में बेदखल करने के निर्णय व आदेश से संबंधित सत्य प्रतिलिपि तहसीलदार साहब के समक्ष पेश नहीं की गई है। तहत अदालत का निर्णय गैरकानूनी व विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के विपरित होने से निरस्त होने योग्य है, निरस्त फरमाए जावें। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है।

राजकीय अभिभाषक पैरोकार सरकार ने अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में कथन किया गया है कि ग्राम माणकी तहसील नौगांवा के आराजी खसरा नं० 746 रकबा 0.18 है० किस्म गै०मु० आगर पर पर अपीलांट हनीफ पुत्र इस्माईल जाति मेव निवासी चौमा द्वारा अवैध रूप से बाजरा काश्त कर कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया गया, जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का चौमा व मय ताईद भू० अभि० निरीक्षक वृत चीडवा द्वारा दिनांक 08.08.2025 को प्रकरण न्यायालय हाजा में पेश किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट हनीफ पुत्र इस्माईल को राज० भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत् नोटिस जारी किया गया। नोटिस की तामील होने के बाद अपीलांट हनीफ पुत्र इस्माईल नियत तारीख पेशी पर उपस्थित आया और जवाब प्रस्तुत किया। अपीलांट द्वारा दिये गए जवाब में अपीलांट द्वारा अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया गया है। अपीलांट द्वारा गत वर्ष भी विवादित भूमि पर अतिक्रमण किए जाने पर बेदखली के आदेश पारित किए गए थे जिसकी पालना में भू०अ० निरीक्षक व पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 26.11.2022 को मौके से बेदखल किया जा चुका है। जिसकी ताईद में बेदखली की प्रति संलग्न है। साथ ही पटवारी हल्का की रिपोर्ट में अपीलांट द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया जाना पाया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए पश्चातवर्ती अतिक्रमी करार दिया जाकर अतिक्रमित रकबे से बेदखल किए जाने के आदेश दिये गये एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण किए जाने के फलस्वरूप तीन माह के सिविल कारावास तथा 18/– रूपये पेनल्टी के दण्ड से

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

दण्डित किया गया जो विधिवत रूप से एवं कानूनन सही निर्णय पारित किया गया है। अतः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाकर अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्ष के विद्वान वकील की बहस पर चिन्तन–मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन किया गया। अपीलान्ट का मुख्य कथन है कि अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं है न ही पूर्व में अतिक्रमण करने व बेदखल करने के बारे में कोई साक्ष्य पत्रवली पर नहीं है। अपीलार्थी के कथन के अनुसार उक्त विवादित आराजी पर अपीलार्थी ने बाजरा काश्त किया हुआ है जिसकी कटाई होने पर उक्त विवादित आराजी को अपीलार्थी के द्वारा खाली कर दिया गया तथा वर्तमान में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया। माननीय राजस्व मण्डल की नजीरों अनुसार जब तक पत्रावली पर पहले बेदखल करने के आदेश/निर्णय की सत्य प्रतिलिपि ना हो, तब तक उसको पश्चातकर्मी अतिक्रमी नहीं माना जा सकता। लेकिन तहसीलदार नौगांवा द्वारा भू० अ० निरीक्षक व पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर बिना निर्णय की प्रतिलिपि देखे पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए तीन माह के सिविल कारावास एवं 18/– रूपये की पेनल्टी से दण्डित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि आराजी खसरा नं० 746 रकबा 0.18 है० किस्म गै०मु० आगर पर बाजरा की फसल बोकर अतिक्रमण किया गया है। अपीलांट द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर उक्त आराजी पर फसल बाजरा की बुवाई कर अवैध रूप से अतिक्रमण किया हुआ है उक्त फसल को काटने के बाद मैं उक्त खसरा नं० को खाली कर दूंगा, अंकित किया हुआ है जिससे अपीलांट अतिक्रमी द्वारा स्वयं अतिक्रमण किया जाना माना गया है एंव पश्चातवर्ती अतिक्रमी के संबंध में उक्त अपीलांट अतिक्रमी को अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण सं० 38/22 निर्णय दिनांक 19.12.2022 के द्वारा बेदखल किया गया जिसकी पालना में पटवारी हल्का एवं भू० अभिलेख निरिक्षक के द्वारा दिनांक 26.11.2022 को अतिक्रमी अपीलांट को बेदखल किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि आगर पर अतिक्रमण किया गया है। जो कि गम्भीर अपराध की श्रेणी में आता है। अधिनस्थ न्यायालय ने विधिवत सुनवाई की जाकर निर्णय पारित किया गया है जिसमें हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अवीकार की जाकर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नौगांवा के निर्णय दिनांक 23.09.2025 प्रकरण सं० 85/25 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर,
अलवर (राज0)